

19/12/24

पत्तावली पेरा हुई। अधिवक्ता उक्त पक्षकारान मय
पक्षकारान अनुपस्थित। रक-रक कर तीन बार अन्तिम
दिलवारी गई। अन्तिम सौम 5PM हो चुका है। अतः अधि.
उक्त पक्षकारान मय पक्षकारान के अनुपस्थित रहने पर
पक्षी का पक्षिग पत्र एवं विपक्षी का काउन्टर पक्षिग
पत्र अन्तिम दायरी एवं अन्तिम पंखी में खारिज किया
जाता है। पत्तावली मसल अगार होकर नजर से कट
ही।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

